प्रो0ए0एस0रणदिवे,
परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
Prof. A.S. Ranadive
Controller of Examinations(Acting)

Guru GhasidasVishwavidyalaya,
(A Central University established by the central universities act 2009)
Koni, Bilaspur 495009 (C.G.)
Office of the Controller of Examinations
PH No. 07752-260003 /260000
Website:www.ggu.ac.in Email : controllerofexamsggv@gmail.com

क्रमांक 383/परीक्षा/सामान्य/2015 बिलासपुर, दिनाक 03 सितम्बर 2015

//अधिसूचना//

आदेशानुसार छात्रो को प्रदान की गई हस्तलिखित अंकसूची को कम्प्यूटराईजड कराये जाने हेतु एवं नाम/पिता/माता के नाम में संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के पश्चात छात्रों को जारी की जानी वाली अंकसूचियों के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित की जाती है:-

शुल्क के प्रकार	शुल्क की राशि	जारी करने की अवधि
सामान्य	60/- प्रति अंकसूची	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन कार्य दिवस के पश्चात संबंधित विभाग को प्रेषित कर दी जावेगी।
तत्काल शुल्क	120/- प्रति अंकसूची	आवेदन सामान्यतः सायं 3.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे एवं अंकसूची संबंधित विभाग को प्रेषित की जावेगी जहॉ से छात्र अंकसूची प्राप्त करेगें।

टीपः-1 उक्त सुविधा उन्ही कक्षाओं के लिए प्रदाय है जिनकी विश्वविद्यालय में कम्प्यूटराईजड अंकसूचिया देने की सुविधा उपलब्ध है एवं जिन छात्रों को पूर्व में कम्प्यूटराईजड अंकसूची प्रदान की गई है उन्हे केवल अंतिम सेमेस्टर की संशोधित कम्प्यूटराईजड अंकसूची प्रदान की जावेगी।

2. छात्र संशोधन संबंधी आवेदन संबंधित विभाग में जमा करेगें तथा संबधित विभाग द्वारा IUMS में वांछित संशोधन उपरांत संशोधन की जाने वाली मूल अंकसूची एवं 10+ 2 की अंकसूची की छायाप्रति के साथ आवेदन परीक्षा विभाग को अग्रेषित करेगें। इसके उपरांत ही छात्रों को संशोधित अंकसूची शुल्क का चालान जारी किया जावेगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जावेगी

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक (कार्यावाहक)

प्रतिलिपि-

1. माननीय कुलपति जी/कुलसचिव जी सचिव/ निज सहायक को कुलपति जी/ कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्ताधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष समस्त शैक्षणिक विभाग,विश्वविद्यालय अध्ययन शाला।
4 जन सम्पर्क अधिकारी/विभागाध्यक्ष संगणक एवं सूचना तकनीकी गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर।
5 समस्त अधीक्षक/कार्यालय सहायक/सहायक कार्यालय सहायक, परीक्षा विभाग।
5 कार्यालय प्रति।

उप-कुलसचिव (परीक्षा)